[Registered Office: G.B. Pant Road, Nainital, Uttarakhand-263001]
[Corporate Office: Seven Oaks Building, Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001]
CIN No. U65923UR1922PLC000234, website: www.nainitalbank.co.in
e-mail ID: cs@nainitalbank.co.in, Phone: 05942-233739

NOTICE TO THE MEMBERS

NOTICE is hereby given that the Ninety Ninth (99th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of **The Nainital Bank Limited** ("the Bank") will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 11:00 A.M Indian Standard Time ("IST") onwards. The Annual General Meeting shall be held by means of Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on account of outbreak of Covid-19 (Coronavirus) pandemic and in accordance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, to transact the following business:

Ordinary Business

- 1. To receive, consider and adopt the Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March 2021, together with the report of the Directors and Auditors thereon.
- 2. To appoint a director in place of Mr. Sanjay Mudaliar (DIN 07484086) who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.
- **3.** To consider and appoint M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants (Firm Registration No. 014461N) as the Central Statutory Auditors of the Bank and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 141 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, Section 30 and all other applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India ("RBI") in this regard from time to time and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or reenactment(s) thereof, for the time being in force), approval of the members of the Bank be and is hereby accorded to the appointment of M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants (Firm Registration No. 014461N), as the Central Statutory Auditors of the Bank for the second term, for a period of one (2) years i.e. to hold office from the conclusion of the Ninety Ninth (99th) Annual General Meeting until the conclusion of the One Hundred One (101st) Annual General Meeting, subject to approval of RBI and on such terms and conditions, including remuneration, as may be determined and recommended by the Audit Committee of Board in consultation with the Central Statutory Auditors and approved by the Board of Directors of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the MD & C.E.O. and Company Secretary of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to take all necessary and required steps, to make the resolution effective."

Special Business

4. To appoint Mr. Manoj Sharma (DIN 09085665) as Non-Executive - Independent Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder; Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India ("RBI") in this regard from time to time; any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification (s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) Mr. Manoj Sharma (DIN: 09085665) who was appointed as a Non-Executive- Additional Independent Director of the Bank by the Board of Directors based on the recommendations of the Nomination and Remuneration & Human Resource Committee (NRHR) w.e.f. April 09, 2021 be and is hereby appointed as a Non-Executive-Independent Director of the Bank to hold office for -5- (five) years i.e. from April 09, 2021 to April 08, 2026 (both days inclusive) and that he shall not be liable to retire by rotation and that he shall be eligible for sitting fees, reimbursement of expenses for attending Board and Committee meetings and profit related commission if any as permissible under relevant RBI guidelines, applicable provisions of Companies Act, 2013 and approved by Board of Directors of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director & C.E.O. and Company Secretary of the Bank, be and are hereby severally/ jointly authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

5. To re-designate and appoint Mr. Dinesh Pant (DIN 08391769) as Managing Director & Chief Executive Officer in place of Chairman & Chief Executive Officer.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Article 83 of Articles of Association of the Bank, Section 149, 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder; Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by Reserve Bank of India ("RBI") in this regard from time to time; any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification (s), variation(s) or re-enactment (s) thereof, for the time being in force) Mr. Dinesh Pant (DIN: 08391769) based on the recommendations of the Nomination and Remuneration & Human Resource Committee (NRHR) and Board dated June 02, 2021 and June 23, 2021 and approval from Reserve Bank of India dated June 14, 2021, be and is hereby redesignated and appointed as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank w.e.f. June 24, 2021 to hold office upto March 31, 2022, being his initial term of appointment and on same terms and conditions as approved by Reserve Bank of India and that he shall not be liable to retire by rotation."

"RESOLVED FURTHER THAT Chief Operating Officer/Chief Financial Officer/Company Secretary of the Bank, be and are, hereby, severally/jointly authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

6. To appoint Mr. Uttam Chand Nahta (DIN 08533075) as Non-Executive - Independent Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder; Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India ("RBI") in this regard from time to time; any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification (s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) Mr. Uttam Chand Nahta (DIN: 08533075) who was appointed as a Non-Executive- Additional Independent Director of the Bank by the Board of Directors based on the recommendations of the Nomination and Remuneration & Human Resource Committee (NRHR) w.e.f. July 29, 2021 be and is hereby appointed as a Non-Executive-Independent Director of the Bank to hold office for -5- (five) years i.e. from July 29, 2021 to July 28, 2026 (both days inclusive) and that he shall not be liable to retire by rotation and that he shall be eligible for sitting fees, reimbursement of expenses for attending Board and Committee meetings and profit related commission if any as permissible under relevant RBI guidelines, applicable provisions of Companies Act, 2013 and approved by Board of Directors of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Chairman & C.E.O. and Company Secretary of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

7. To appoint Mr. Krishnamachari Narasimhachari (DIN. 07409731) as Part Time/Non-Executive (Independent) Chairman.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Article 83 of Articles of Association of the Bank, Sections 149, 152 read with Schedule IV and such other applicable provisions of the Companies Act, 2013 along with applicable rules thereunder, Section 10B(1A)(i) and 35B and such other applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and any other applicable laws, or any amendment or modifications or any re-enactment thereof, and approval from the Reserve Bank of India ("RBI") dated August 23, 2021 in this regard and other concerned authorities or bodies and subject to the conditions as may be prescribed by any of them while granting such approvals, appointment of Mr. N.K. Chari (DIN 07409731), be and is hereby approved as Part Time / Non-Executive (Independent) Chairman and of the Bank, not liable to retire by rotation, for a period of three (3) years commencing from August 23, 2021, at a remuneration of Rs. 8,40,000 (Rupees Eight Lac Forty Thousand only) per annum, and the Board is authorized to fix the remuneration payable to Mr. N.K. Chari and subsequently vary at annual or periodic intervals as per the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, approval of the Board and the RBI from time to time during his tenure, and that he will be entitled for sitting fees for attending Board and Committee meetings of the Bank as permissible under relevant RBI guidelines, applicable provisions of Companies Act, 2013 and approved by Board of Directors of the Bank."

RESOLVED FURTHER THAT the Board (which term shall include any Committee thereof) be and is hereby authorized to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the said appointment as it may in its sole discretion deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the MD & C.E.O. and Company Secretary of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, file requisite forms

or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

8. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the Board of Directors be and is hereby authorised to appoint from time to time, in consultation with the Central Statutory Auditors, on such remuneration and on such terms and conditions, as the Board may deem fit, persons qualified for appointment as Branch Auditors of the Bank under Section 143 (8) of the Companies Act, 2013 to audit the accounts of the Branch Offices of the Bank for the year ending 31st March, 2022 subject to prior approval of the Reserve Bank of India".

"RESOLVED FURTHER THAT the MD & C.E.O./Chief Financial Officer/Company Secretary of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

MEMORANDUM OF INTEREST

Regarding Item No. 3, 4, 5, 6 and 7 - respective Directors are interested only in so far as their appointment is/are concerned.

By Order of the Board of Directors

Place: Nainital

Date: September 06, 2021

(Dinesh Pant)

Managing Director & C.E.O.

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013

Item No. 3.

The Members of the Bank in 98th Annual General Meeting (AGM) appointed M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants (Firm Registration No. 014461N) as Central Statutory Auditors of the Bank for a period of -1- year (First Tenure) and to hold office till the conclusion of 99th Annual General Meeting. As per RBI Circular of April 27, 2021 for Commercial Banks, the Bank's will have to appoint CSA's for a continuous period of -3- Years in order to protect the independence of the Audit Firms. It is now proposed to appoint M/s Dharam Raj & Company, Chartered Accountants (Firm Registration No. 014461N) as Bank's Central Statutory for a period of -2- Years, being Second Term i.e. to hold office from the conclusion of the Ninety Ninth (99th) Annual General Meeting until the conclusion of the One Hundred First (101st) Annual General Meeting, subject to approval of RBI and on such terms and conditions, including remuneration, as may be determined and recommended by the Audit Committee of Board in consultation with the proposed Auditor and approved by the Board of Directors of the Bank.

M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountant (Firm Registration No. 014461N) have confirmed their eligibility under Section 141 of Companies Act, 2013 to be appointed as Central Statutory Auditors of the Bank. The Statutory Auditors have also confirmed that they had subjected themselves to the peer review process of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and they hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of ICAI. Further, they have confirmed that they fulfil the eligibility norms for appointment of Central Statutory Auditor of Private Sector Banks as prescribed by Reserve Bank of India ("RBI"). M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants have total experience of 25 years including Bank Audits. M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants was also associated as Central Statutory Auditor of a private sector bank in the past. Based on the above the, Board of the Bank is of the opinion that M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants fulfils all the criteria as laid down by the Companies Act, 2013 and it is desirable to appoint them as the Central Statutory Auditors of the Bank for a period of one (2) years from the conclusion of the Ninety Ninth (99th) Annual General Meeting until the conclusion of the One Hundred First (101st) Annual General Meeting, subject to approval of RBI. Board of NBL therefore recommends the agenda as Ordinary Resolution to the members for approval.

Item No. 4.

Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on April 09, 2021 approved the appointment of Mr. Manoj Sharma as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank to hold office as such upto the date of this Annual General Meeting. His initial period as Director shall be for an initial period of five (5) years subject to approval of shareholders. He is found fit and proper to be appointed as a Director of the Bank as per the norms prescribed by the Reserve Bank of India. Further, he is also not disqualified from being appointed as a Director as per section 164 of the Companies Act, 2013 and has given his consent to act as a Director of the Bank. He also fulfils the Independent criteria as laid under the Companies Act, 2013.

Mr. Manoj Sharma has the requisite qualification, skills, experience and expertise in specific functional areas in terms of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949, which shall be beneficial to the Bank. The brief profile of Mr. Manoj Sharma has been provided as an Annexure to this Notice. He is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

Your Directors, therefore, recommend the agenda as ordinary resolution, as set forth in Item No. 4 of this Notice, for the approval of the Members. Except for Mr. Manoj Sharma and his relatives, none of the other Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives are in any way interested in the passing of the Ordinary Resolution as set out in Item No. 4 of this Notice.

Item No. 5.

Reserve Bank of India in April 2002 issued 'Report of the Consultative Group of Directors of Banks/Financial Institutions Dr. Ganguly Group' inter alia providing that 'It would be desirable to separate the office of Chairman and Managing Director in respect of large sized banks. Keeping in view the balance sheet size, sophistication of business transactions and complexity of the bank, the office of Chairman and Managing Director could be bifurcated into two: the Chairman who is the Chairman of the Board and the Managing Director who could function as the Chief Executive responsible for day-to-day management of the Bank. The Group is of the view that this functional separation will bring about more focus and vision as also the needed thrust in the functioning of the top management of the Bank.'

In view of the small size of Nainital Bank, Bank of Baroda (Parent Bank) in the year 2007 took exemption for separation of the office of Chairman and Managing Director in The Nainital Bank Limited. It has now been decided that the aforesaid recommendations of Ganguly Committee with respect to the separation of the office of Chairman and Managing Director would now be applicable to The Nainital Bank Limited.

Consequent to the above and pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on June 02, 2021 approved the name of Mr. Dinesh Pant for the post of MD & CEO subject to approval from Reserve Bank of India.

Pursuant to the approval received from Reserve Bank of India dated June 14, 2021, Mr. Dinesh Pant was for re-designating Mr. Dinesh Pant was re-designated as MD & CEO w.e.f. June 24, 2021 on same terms and conditions of his initial appointment. His re-designation as MD & CEO is being placed before shareholders for approval.

Your Directors, therefore, recommend the agenda as ordinary resolution, as set forth in Item No. 5 of this Notice, for the approval of the Members. Except for Mr. Dinesh Pant, his relatives (interested-if any), Bank of Baroda and its nominees, none of the other Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives are in any way interested in the passing of the Ordinary Resolution as set out in Item No. 5 of this Notice.

Item No. 6.

Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on July 28, 2021 approved the appointment of Mr. Uttam Chand Nahta as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank w.e.f. July 29, 2021 to hold office as such upto the date of this Annual General Meeting. His initial period as Director shall be for an initial period of five (5) years subject to approval of shareholders. He is found fit and proper to be appointed as a Director of the Bank as per the norms prescribed by the Reserve Bank of India. Further, he is also not disqualified from being appointed as a Director as per section 164 of the Companies Act, 2013 and has given his consent to act as a Director of the Bank. He also fulfils the Independent criteria as laid under the Companies Act, 2013.

Mr. Uttam Chand Nahta has the requisite qualification, skills, experience and expertise in specific functional areas in terms of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949, which shall be beneficial for the Bank. The brief profile of Mr. Uttam Chand Nahta has been provided as an Annexure to this Notice. He is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

Your Directors, therefore, recommend the agenda as ordinary resolution, as set forth in Item No. 6 of this Notice, for the approval of the Members. Except for Mr. Manoj Sharma and his relatives (interested-if any), none of the other Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives are in any way interested in the passing of the Ordinary Resolution as set out in Item No. 6 of this Notice.

Item No. 7.

Reserve Bank of India in April 2002 issued 'Report of the Consultative Group of Directors of Banks/Financial Institutions Dr. Ganguly Group' inter alia providing that 'It would be desirable to separate the office of Chairman and Managing Director in respect of large sized banks. Keeping in view the balance sheet size, sophistication of business transactions and complexity of the bank, the office of Chairman and Managing Director could be bifurcated into two: the Chairman who is the Chairman of the Board and the Managing Director who could function as the Chief Executive responsible for day-to-day management of the Bank. The Group is of the view that this functional separation will bring about more focus and vision as also the needed thrust in the functioning of the top management of the Bank.

In view of the small size of Nainital Bank, Bank of Baroda (Parent Bank) in the year 2007 took exemption for separation of the office of Chairman and Managing Director in The Nainital Bank Limited. It has now been decided that the aforesaid recommendations of Ganguly Committee with respect to the separation of the office of Chairman and Managing Director would now be applicable to The Nainital Bank Limited.

Consequent to the above and pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on June 02, 2021 approved the name of Mr. N.K. Chari for the post of Part time / Non-Executive Chairman of the Bank, subject to approval from Reserve Bank of India.

Pursuant to the approval received from Reserve Bank of India dated August 23, 2021, Mr. N.K. Chari has assumed the office of Part Tim/Non-executive (Independent) Chairman w.e.f. August 23, 2021 for a period of 3 years on a consolidated remuneration of Rs. 8,40,000.00 per annum. His appointment as Part Time/Non-Executive (Independent) Chairman is being placed before shareholders for approval.

Your Directors, therefore, recommend the agenda as ordinary resolution, as set forth in Item No. 7 of this Notice, for the approval of the Members. Except for Mr. N.K. Chari and his relatives, none of the other Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives are in any way interested in the passing of the Ordinary Resolution as set out in Item No. 7 of this Notice.

Item No. 8.

It is not practicable to have all the branch offices audited by the Central Statutory Auditors. It is, therefore, proposed that Board of Directors be authorised to appoint persons qualified for appointment as Branch Auditors of the Bank, for the branches which are not audited by the Central Statutory Auditors, as the Board may deem fit, in consultation with the Central Statutory Auditors.

None of the Directors or Key Managerial Personnels (KMP) or relative/s of Director/s and KMP is/are concerned or interested in the Resolutions of the accompanying Notice.

NOTES

- a) An Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 pertaining to Item No. 2 to 8 to be transacted at the Annual General Meeting ("AGM") is annexed hereto.
- b) In view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, social distancing is a norm to be followed, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 w.r.t. Clarification on holding of Annual General Meeting ("AGM") through video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the AGM through video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM) and dispensed personal presence of the Members at the common venue during AGM. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and MCA Circulars, the AGM of the Bank shall thus be held through VC/OAVM. Hence, the Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM. The deemed venue for the 99th AGM shall be the Corporate Office of the Bank at Nainital.
- c) A proxy is allowed to be appointed under section 105 of the Companies Act, 2013 to attend and to vote at General Meeting on behalf of a Member who is not able to attend personally. However, in compliance with the MCA Circulars, there is no requirement of appointment of proxy for this AGM, since for the AGM under this framework physical attendance of the Members in any case has been dispensed with. Hence, instructions related to proxy and proxy form are not provided in this Notice. However, in pursuance of section 112 and section 113 of the Companies Act, 2013, the representatives of the Corporate Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting or for participation and voting at the AGM to be held through VC or OAVM.
- d) The Register of Members and Share Transfer Book of the bank will remain closed from September 21, 2021 to September 28, 2021 (both days inclusive).
- e) In case of Joint holders attending the AGM, only such joint holder whose name appears first in order of names will be entitled to vote. Corporate Members are requested to send a duly certified copy of the Board Resolution authorising their representative(s) to attend and vote on their behalf at the AGM.
- f) The Bank did not declare any Dividend for the F.Y. 2020-21.
- g) Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the Financial Years 2013-2014 to 2018-2019 are requested to immediately forward the same to the bank for revalidation. Further, as per section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016, the equity shares in respect of which the Dividend has not been claimed for seven consecutive years shall be transferred by the Bank to the designated demat account of the IEPF Authority. Members may note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to Demat account of IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under IEPF Rules.
- h) Members are requested to intimate the bank or RTA for changes, if any, in their registered address, email and other details at an early date quoting their folio number.
- i) Since the AGM shall be held through VC or OAVM, hence the requirement of providing the Route Map and Landmark for the venue of the AGM in the notice does not apply to this AGM.
- j) Questions/queries relating the bank's Annual Accounts and other public disclosures, be intimated to the undersigned at least 3 days in advance excluding the day of the meeting so as to enable the bank to keep the information ready.
- **k)** All documents referred to in the accompanying Notice and the explanatory Statement shall be open for inspection at the Corporate Office of the bank during the business hours on all working days upto the date of Annual General Meeting if there is no restriction in the area due to Covid-19.
- I) In compliance with the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, this Notice and the Annual Report of the Bank will only be sent by e-mail. We, therefore request the Members to register their email ID with their DP (in case of electronic shareholding) or with M/s KFin Technologies (P) Limited (in case of physical shareholding) or bank mentioning your demat account/Folio no(s).
- m) The shareholders may write to the following address regarding transfer of shares held in physical form or for conveying their grievances, if any, at below mentioned addresses:

CIN: U65923UR1922PLC000234

Corporate Office

Company Secretary The Nainital Bank Limited

Seven Oaks Building, Mallital, Nainital-263001

Website: www.nainitalbank.co.in Phone No.: 05942-233739 Email: cs@nainitalbank.co.in M/s KFin Technologies Private Limited

Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad - 500 032.

Phone No.: 1800-345-4001 /+91-40-6716 2222

Fax No.: +91-40 - 2300 1153

Email: hanumantha.patri@kfintech.com

Contact Persons:
Shri Hanumantha
Shri Vinod Singh Negi

n) Remote E-Voting:

- (i) In compliance of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility through M/s KFin Technologies (P) Limited, to enable its Members to cast their votes electronically on all the items as set out in this Notice. Remote e-voting is optional.
- (ii) The Bank has appointed Ms. Binita Pandey, Practising Company Secretary (Membership No. A41594, COP-19730) or failing her Mr. Himanshu Gupta, Practising Advocate (Membership No. D/3139/2014) as the Scrutinizer for conducting the remote evoting process in a fair and transparent manner.
- (iii) The voting rights of the shareholders shall be in proportion of their shareholding to the total issued and paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date viz. September 21, 2021 subject to the provisions of Section of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI Circular No. 97/16.13.100/2015-16 dated 12th May 2016.
- (iv) A person who is not a Member as on the said cut-off date, will not be entitled to vote and should treat this Notice, for information purpose only.

- (v) The instructions for remote e-voting, are as under:
 - In case of Members receiving Notice by e-mail:
 - ✓ Enter the login credentials (i.e., User ID & Password) mentioned in the e-mail, your Folio No. / DP ID & Client ID will be your USER ID. Please note that the password is an initial password.
 - ✓ Use the following URL for remote e-voting: from website: https://evoting.kfintech.com
 - ✓ Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically.
 - ✓ Enter the login credentials. Your Folio No/DP ID & Client ID will be your user ID.
 - ✓ After entering the details appropriately, click on LOGIN.
 - ✓ On the voting page, enter the number of shares as on the said cut-off date under FOR/AGAINST or alternately you may enter partially any number in FOR and partially any number in AGAINST but the total number in FOR/AGAINST taken together should not exceed your total shareholding, as on the said cut-off date. You may also choose the option ABSTAIN.
 - ✓ Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
 - ✓ Cast your vote by selecting an appropriate option and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the Resolution.
 - ✓ Once the vote on the Resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
 - ✓ The remote e-voting period shall commence on **September 25, 2021** (09:00 A.M.) and will end on **September 27, 2021** (5:00 P.M.). During this period Shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of **September 21, 2021**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by vendor for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast by the Shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently. Further, the Shareholders who have cast their vote electronically may also attend the Meeting, however they shall not be able to vote again at the Meeting.
 - ✓ Please contact M/s KFin Technologies Private Limited or Mr. Hanumantha or Mr. Vinod Singh Negi for any clarification regarding e-voting.
 - In case of Members receiving Notice by Post/Courier:

✓ Initial password is provided, as below, in the attendance slip of the Meeting.

EVENT		
(E-Voting Event Number)	USER ID	PASSWORD/PIN

- ✓ Please follow the steps stated above, to cast your vote by electronic means.
- vi. The Results shall be communicated to the shareholders in accordance with Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and will be uploaded on the Bank's website i.e. www.nainitalbank.co.in. The Results will also be displayed at the Registered and Corporate Offices of the Bank.

MEMBERS MAY PLEASE NOTE THAT NO GIFTS/COUPONS WILL BE DISTRIBUTED/DISPATCHED.

By Order of the Board of Directors

Place: Nainital (Dinesh Pant)

Date: September 06, 2021 Managing Director & C.E.O.

<u>Details of Director/s seeking appointment/re-appointment at the Annual General Meeting in terms of the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2)</u>.

Name	Mrs. Sanjay Mudaliar	Mr. Manoj Sharma	Mr. Dinesh Pant	Mr. Uttam Chand Nahta	Mr. N.K. Chari
DIN No.	07484086	09085665	08391769	08533075	07409731
Date of Appointment	17.12.2019	09.04.2021	26.03.19 - Director 01.04.19 - Chairman & CEO 24.06.21 - MD & CEO	29.07.2021	08.06.2021 - Director 23.08.2021 - Part Time/Non- Executive (Independent) Chairman
Education Qualification	He is a Graduate in Science from Bhopal University. He did further specialization in Computer Science and Technology from Nagpur University. He also has a formal training & certification in Project Management "Prince2" from Ministry of Commerce, United Kingdom.	He possesses BA (Hon) in Economics, MA Economics and has Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM) from Indian Institute of Banking & Finance (IIBF).	He possesses degrees of M.SC, MBA in Banking and Finance, Diploma in Banking and Finance, CAIIB, Financial Risk Manager Certification Exam (FRM-1).	He is a Chartered Accountant having more than 44 years of post-qualification experience and Company Secretary having more than 36 years of post-qualification experience.	He possesses degree from Shriram College of Commerce, Delhi University, Masters in Commerce, Delhi University, India, Certified Associate of the Indian Institute of Bankers and Award in General Business (Finance) from University of California, Los Angeles (Extension), USA
Brief resume including expertise	He is having varied experience in Software industry, Manufacturing unit, NGO working on scientific research in human settlement. In these assignments, he worked in the areas of data analysis, technology deployment and process improvement. Subsequently, he joined Banking sector and had two distinct stints in State Bank of Travancore and Bank of Baroda. In banking, he had an opportunity to work in technology as well as banking operations. He had a privilege of starting Digital Banking and e-Banking verticals in Bank of Baroda. He also had a four years stint in London as Head of Technology. He had worked as Regional Manager at Mumbai and Deputy Zonal Manager at Bengaluru. He is currently the Chief Technology Officer (CTO) of Bank of Baroda.	Retired as Chief General Manager from Reserve Bank of India. Has vast Regulatory and Supervisory experience - on - site & Policy making. Extensive hands-on Policy & Operational experience of new Risk based Supervisory Approach. Major role in redefining Policy on detection, mitigation and reporting of frauds. Headed the Quick Response Team of Frauds. Have internal & external knowledge transfer on Conceptual and Operational aspects of RBS model. He possesses expertise in conceptualization, design and implementation of Risk Based Supervisory approach for Scheduled Commercial Banks in India. Headed RBI team for implementing the small bank variant RBO model for assessment of small foreign banks from conceptualization, design to stabilization of the model. Have expertise in Policy Making, Quality Assurance Functions and related aspects of SPARC process. Headed Internal Working Group for bringing out the framework on fraud detection, monitoring and reporting for Banks in India. Have experience in Risk Based Supervision of Foreign Banks, Public Banks, Private Sector	He is having vast and varied experience of around -27- years in Banking. He has played vital role in different capacities with all-important foreign and domestic assignments in Bahrain and Manama including Regional Head of Mumbai Metro East Region, Sambalpur Region, Deputy Regional Head - Dehradun Region and various important branches of Bank of Baroda. He has acquired proficiency in Risk Management, Forex and Treasury Operations, Credit and Operations and have both operational and administrative capabilities. Mr. Dinesh Pant, also attended a special programme 'We Lead' where he visited Frankfurt, Germany and Switzerland to study their SME structure.	He is a retired class one officer of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs. Served for more than 32 years and additionally as Member-Competition of India for 5 Years. He has held important positions as Additional Registrar of Companies for the state of Maharashtra, Registrar of Companies for the state of Gujarat, Regional Director for Northern Region, Eastern Region, and North Western Region, at the level of Joint Secretary to the Government of India for more than 12 years & Director of Inspection & Investigation and at the scale of Additional Secretary to the Government of India for about 4 years and Member-Competition Commission of India for 5 years at the level of Secretary to the Government of India. He has requisite knowledge of accountancy, finance, law etc.	He has varied experience of around 39 years in operations, credit, branch banking, performance budgeting, monitoring and control over branches and regions in various capacities during his service in State Bank of India. He handled Retail and Corporate Credit in both domestic and international scenarios and was also part of HR management in SBI. During his service in SBI, he held the position of MD of Nepal SBI Ltd., Kathmandu and also held Directorships in two subsidiaries of SBI, SBI Cards and Payment Services (Credit Card Company) and SBI Capital Market Securities (Dealing in Securities Market). He also held the position of the Managing Director of State Bank of Mysore (SBM) an Associate of SBI on deputation and after returning to SBI he retired from SBI as Deputy Managing Director (DMD) on 31st August 2017.

		Banks etc.			
Directorships held in other companies	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Disclosure of relationships between Directors inter- se	Not related to any of the Independent Directors of the Bank. Belongs to Bank of Baroda	Not related to any of the Directors of the Bank	Not related to any of the Independent Directors of the Bank. Belongs to Bank of Baroda.	Not related to any of the Directors of the Bank	Not related to any of the Directors of the Bank
Number of shares held in the Bank as on 31.03.2021	150	Nil	Nil	Nil	Nil

[पंजीकृत कार्यालयः जी.बी. पंत रोड, नैनीताल, उत्तराखंड -263001]
[कॉर्पोरेट कार्यालयः सेवन ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखंड -263001]
सीआईएन नं. U65923UR1922PLC000234, वेबसाइटः www.nainitalbank.co.in
ईमेल आईडीः cs@nainitalbank.co.in, फोनः 05942-233739

सदस्यों के लिए नोटिस

यह नोटिस दिया जाता है कि दि नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक) के सदस्यों की 99वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) नीचे दिए गए कार्यों के लिए दिनांक 28 सितंबर, 2021, मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 11 बजे से आयोजित की जाएगी. कोविड-19 (कोरोना वायरस) महामारी के प्रकोप के कारण और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित परिपत्रों के अनुसरण में यह वार्षिक साधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रंएसिंग (वीसी) और अन्य ऑडियो-विजुअल ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी.

सामान्य कारोबार

- 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अपनाना.
- 2. श्री संजय मुदालियार (डीआईएन 07484086) जो रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति और पात्र होने पर उन्हें ही पुनर्नियुक्त करने का प्रस्ताव.
- 3. मेसर्स धरमराज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 014461एन) को उपयुक्त पाए जाने पर बैंक के केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करना, इसे संशोधन(संशोधनों) के साथ या बिना निम्नलिखित सामान्य संकल्प को संकल्प के रूप में परित करनाः

"पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 141 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, उसके तहत बने संबंधित नियमों के साथ पठित, धारा 30 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के सभी अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सिहत, जो वर्तमान समय में लागू हो), बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अनुसार, इसके द्वारा मेसर्स धरमराज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 014461N) को केन्द्रीय वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में दूसरी बार दो (2) वर्ष की अविध के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन और उन नियम एवं शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है अर्थात् वे निन्यानवीं (99वीं) वार्षिक आम बैठक की समाप्ति से एक सौ एकवीं (101वीं) वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पदभार संभालेंगे, इन शर्तों में उनकी पारिश्रमिक भी शामिल है जैसा कि बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन और केन्द्रीय वैधानिक लेखापरीक्षकों के परामर्श तथा बैंक के निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुसार तय होगी।

"यह पारित किया जाता है कि बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, और कंपनी सचिव, एतदद्वारा संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक और अपेक्षित निर्णय लेने के लिए पृथक/संयुक्त रूप से प्राधिकृत हैं।"

विशिष्ट कारोबार

4. श्री मनोज शर्मा (डीआईएन 09085665) को गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और उसके तहत बने नियमों के साथ पठित; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सिहत, जो वर्तमान समय में लागू हो) के अनुसार श्री मनोज शर्मा (डीआईएन 09085665) को नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन सिमित (एनआरएचआर) की सिफारिश के आधार पर दिनांक 09 अप्रैल, 2021 से बैंक के गैर- कार्यपालक- अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें एतदद्वारा बैंक के गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें एतदद्वारा बैंक के गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें एतदद्वारा बैंक के गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें एतदद्वारा वैंक के गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वे -5- (पांच) वर्ष तक पदभार संभालेंग अर्थात् 09 अप्रैल, 2021 से 08 अप्रैल, 2026 तक (दोनों दिवसों सिहत) और वो रोटेशन पर भी सेवा से पद से मुक्त होने के लिए बाध्य नहीं होंगे और सिटिंग फीस, बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए और संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और बैंक के निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदन के अंतर्गत अनुसत अनुलाभ संबंधी कमीशन, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे।"

"आगे यह पारित किया जाता है कि प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. और बैंक के कंपनी सचिव, इस तरह के सभी यथा आवश्यक समझौतों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखन को निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से / संयुक्त रूप से वैधानिक / नियामक अधिकारियों के साथ अपेक्षित आवेदन फाइल करने और और ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई को करने के लिए अधिकृत हैं जो कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित माना जा सकता है।"

5. श्री दिनेश पंत (डीआईएन 08391769) को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्थान पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनः पदस्थापित और नियुक्त करना

निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

पारित किया जाता है कि बैंक के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसियेशन की धारा 83, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और उसे तहत बने नियमों के साथ पठित; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों

(किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सहित, जो वर्तमान समय में लागू हो) के अनुसार श्री दिनेश पंत (डीआईएन 08391769) को नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) और बोर्ड की सिफारिशों, दिनांक 02 जून, 2021 और 24 जून 2021 के आधार पर और भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति, दिनांक 14 जून, 2021 के आधार पर एतदद्वारा 25 जून, 2021 से 31 मार्च 2022 तक बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रूप में पुनःनियुक्त किया जाता है, उनकी नियुक्ति संबंधी नियम एवं शर्तें आरबीआई द्वारा स्वीकृत किए जाने के अनुरूप होंगी और रोटेशन के आधार पर सेवा से मुक्त होने के लिए बाध्य नहीं होंगे।"

"आगे यह पारित किया जाता है कि मुख्य परिचालन अधिकारी/ मुख्य वित्तीय अधिकारी/ बैंक के कंपनी सचिव, इस तरह के सभी यथा आवश्यक समझौतों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखन को निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से / संयुक्त रूप से वैधानिक / नियामक अधिकारियों के साथ अपेक्षित आवेदन फाइल करने और और ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई को करने के लिए अधिकृत हैं जो कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित माना जा सकता है।"

6. श्री उत्तम चंद नाहटा (डीआईएन 08533075) को गैर-कार्यपालक – स्वतंत्र निदेश्क के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर **सामान्य संकल्प** के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

"पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और उसे तहत बने नियमों के साथ पठित ; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सिहत, जो वर्तमान समय में लागू हो) के अनुसार श्री उत्तम चंद नहटा (डीआईएन 08533075) को नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन सिमित (एनआरएचआर) के सिफारिश के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2021 से बैंक के गैर- कार्यपालक— अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें एतदद्वारा बैंक के गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वे -5- (पांच) वर्ष तक पदभार संभालेंगे अर्थात् 29 जुलाई, 2021 से 28 जुलाई, 2026 तक (दोनों दिवसों सहित) और वो रोटेशन पर भी सेवा से पद से मुक्तर होने के लिए बाध्य नहीं होंगे और सिटिंग फीस, बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए और संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और बैंक के निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदन के अंतर्गत अनुमत अनुलाभ संबंधी कमीशन, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे।"

"आगे यह पारित किया जाता है कि अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और बैंक के कंपनी सचिव, इस तरह के सभी यथा आवश्यक समझौतों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखन को निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से / संयुक्त रूप से वैधानिक / नियामक अधिकारियों के साथ अपेक्षित आवेदन फाइल करने और और ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई को करने के लिए अधिकृत हैं जो कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित माना जा सकता है।"

7. <u>श्री कृष्णमाचारी नरसिम्हाचारी (डीआईएन 07409731) की अंशकालिक/ गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) अध्यक्ष के रूप में</u> <u>नियुक्ति</u>

निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

"पारित किया जाता है कि बैंक के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसियेशन की धारा 83, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और उसे तहत बने नियमों के साथ पठित सेक्शन 149, 152 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी(1ए) और 35बी और अन्य लागू प्रावधानों और कोई लागू कानून, अथवा कोई संशोधन या आशोधन या उसके तहत किए गए कोई पुनःअधिनियमन और इस संबंध में दिनांक 23 अगस्त 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") और अन्य संबंधित प्राधिकारियों अथवा निकायों और से प्राप्त स्वीकृति और मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन एतद्वारा श्री एन.के.चारी (डीआईएन 07409731) को बैंक के अंशकालिक/ गैर-कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी जाती है, वे रोटेशन के अधीन सेवा से मुक्त होने के लिए बाध्य नहीं होंगे. उनकी नियुक्ति तीन (3) वर्षों तक के लिए होगी जो 23 अगस्त 2021 से शुरू होगी. उनका पारिश्रमिक प्रति वर्ष रू. 8,40,000 (रूपये आठ लाख चालीस हजार मात्र) होगा. बोर्ड श्री एन.के.चारी को देय पारिश्रमिक राशि को फिक्स करने के लिए प्राधिकृत है और बाद में नामांकन और पारिश्रमिक समिति, बोर्ड की स्वीकृति, और उसके कार्यकाल के दौरान समय-समय पर जारी स्वीकृतियों के अनुसार वार्षिक और आवधिक अंतराल पर इसमें अंतर करने हेतु भी प्राधिकृत है। वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लागू प्रावधानों और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमत अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए सिटिंग फीस के लिए पात्र होंगे।"

"आगे यह भी पारित किया जाता है कि बोर्ड (जिसके तहत कोई सिमिति शामिल होगी) को एतदद्वारा उक्त नियुक्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं को निपटाने के लिए प्राधिकृत किया जैसा कि यह अपने विवेकाधिकार में उचित समझे।"

"आगे यह पारित किया जाता है कि प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. और बैंक के कंपनी सचिव, इस तरह के सभी यथा आवश्यक समझौतों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखन को निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से / संयुक्त रूप से वैधानिक / नियामक अधिकारियों के साथ अपेक्षित आवेदन फाइल करने और और ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई को करने के लिए अधिकृत हैं जो कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित माना जा सकता है।"

8. निम्नलिखित संकल्प पर **सामान्य संकल्प** के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

"पारित किया जाता है कि निदेशक मंडल केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों से परामर्श करके, इस तरह के पारिश्रमिक पर और ऐसे नियम और शर्तों पर, जैसे मंडल उचित समझता हो, समय समय पर, ऐसे व्यक्तियों को, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, बैंक के शाखा कार्यालयों के खातों का लेखा परिक्षण करने के लिए नियुक्त किये जाने के योग्य हो, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहकर, नियुक्त करने के लिए एतद् द्वारा अधिकृत है और किया जाता है।".

"आगे यह पारित किया जाता है कि प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ./ मुख्य वित्तीय अधिकारी/बैंक के कंपनी सचिव, इस तरह के सभी यथा आवश्यक समझौतों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखन को निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से / संयुक्त रूप से वैधानिक / नियामक अधिकारियों के साथ अपेक्षित आवेदन फाइल करने और और ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई को करने के लिए अधिकृत हैं जो कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित माना जा सकता है।"

अभिरुचि ज्ञापन

मद संख्या **3, 4, 5**, **6** और **7** के संबंध में सम्बंधित निदेशक केवल उस सीमा तक तक इच्छुक होंगे जहां तक यह उनकी पुनः नियुक्ति/चयन से संबद्ध है।

कृते निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: नैनीताल

दिनांक: 06 सितंबर, 2021

(दिनेश पंत)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

सूचना संबंधी अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3

98 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बैंक के सदस्यों ने मेसर्स धर्म राज एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 014461N) को -1-वर्ष (प्रथम कार्यकाल) की अविध के लिए बैंक के केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया और 99 वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। वाणिज्यिक बैंकों के लिए 27 अप्रैल, 2021 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, बैंक को ऑडिट फर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 3 साल की निरंतर अविध के लिए सीएसए को नियुक्त करना होगा। अब मेसर्स धर्म राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 014461N) को बैंक के केंद्रीय सांविधिक लेखाकार के रूप में-2 साल की अविध के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति और ऐसे संबंधित निमय एवं शर्तों, जिनमें प्रस्तावित लेखा परीक्षक के संबंध में बोर्ड के साथ परामर्श कर लेखा परीक्षा सिमित द्वारा निर्धारित अनुसार पारिश्रमिक और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा मंजूर करने के अध्यधीन निन्यानवीं (99 वीं) वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर एक सौ एकवीं (101) वार्षिक आम बैठक के समापन तक कार्यालय पर बने रहेंगे।

मेसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 014461एन) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत बैंक की केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने की अपनी पात्रता की पृष्टि की है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने यह भी पृष्टि की है कि उन्होंने खुद को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया के अधीन और वे आईसीएआई के पीयर रिट्यू बोर्ड द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र रखते हैं। इसके अलावा, उन्होंने पृष्टि की है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा निर्धारित निजी क्षेत्र के बैंकों के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। मेसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को बैंक ऑडिट सहित 25 वर्षों का कुल अनुभव है। मेसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार अतीत में एक निजी क्षेत्र के बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में भी जुड़े थे। उपरोक्त के आधार पर बैंक के बोर्ड की राय है कि मैसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और 99वीं वार्षिक आम सभा के समापन के बाद दो (2) वर्ष की अवधि अर्थात् 101 वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के अधीन उन्हें बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना वांछनीय है। इसलिए नैनीताल बैंक का बोर्ड कार्यसूची को सामान्य संकल्प के रूप में सदस्यों के समक्ष स्वीकृति हेतु सिफारिश करता है।

मद संख्या 4

09 अप्रैल, 2021 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार श्री मनोज शर्मा को बैंक के गैर-कार्यपालक-अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए नियुक्त करने को मंजूरी दी। निदेशक के रूप में उनकी प्रारंभिक अवधि शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन पांच (5) वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए होगी। उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त और उचित पाया जाता है। इसके अलावा वो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक नियुक्त होने से भी अयोग्य नहीं है और उन्होंने बैंक के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमित दी है। वो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्र मानदंडों को भी पूरा करते हैं।

श्री मनोज शर्मा के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के संदर्भ में विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता, कौशल, अनुभव और विशेषज्ञता है, जो बैंक के लिए फायदेमंद होगी। श्री मनोज शर्मा की संक्षिप्त प्रोफाइल इस सूचना के अनुलग्नक के रूप में उपलब्ध कराई गई है। वह बैंक के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है।

इस प्रकार, आपके निदेशक इस नोटिस के मद संख्या 4 में दिए गए साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन हेतु इस कार्यसूची की सिफारिश करते हैं। श्री मनोज शर्मा और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, बैंक के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से कोई भी और उनके रिश्तेदार इस नोटिस के मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या . 5.

भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2002 में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के कंसल्टिव ग्रुप ऑफ़ डायरेक्टर्स र्स की रिपोर्ट डॉ. गांगुली ग्रुप' जारी की थी, जिसमें यह भी बताया गया था कि बड़े आकार के बैंकों के संबंध में 'अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करना वांछनीय होगा। बैलेंस शीट के आकार, परिष्कृत व्यापार लेनदेन और बैंक की जटिलता को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यालय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: अध्यक्ष जो कि बोर्ड का अध्यक्ष हो और प्रबंध निदेशक जो मुख्य कार्यपालक के रूप में काम कर सकें और उनके पास बैंक के दैनिक प्रबंधन का दायित्व होगा. ग्रुप का मानना है कि इस कार्यदायित्व को विभाजित कर बैंक के शीर्ष प्रबंधन के कामकाज में आवश्यक जोर दिया जा सकेगा और साथ-साथ कार्य में नया दृष्टिकोण भी लाया जा सकेगा।

नैनीताल बैंक के छोटे आकार को देखते हुए वर्ष 2007 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पैरेंट बैंक) ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यालय को अलग करने के संबंध में छूट प्राप्त की थी। अब यह तय किया गया है कि उपरोक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद से अलग होने के संबंध में गांगुली समिति की सिफारिशें नैनीताल बैंक लिमिटेड पर भी लागू की जाए।

इसके परिणामस्वरूप 02 जून, 2021 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन के अधीन एमडी और सीईओ पद के लिए श्री दिनेश पंत के नाम को मंजूरी दे दी।

उपर्युक्त के बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिशों के संबंध में निदेशक मंडल ने दिनांक 2 जून, 2021 की बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के अधीन श्री दिनेश पंत के नाम को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पद हेतु अनुमोदित किया है.

श्री दिनेश पंत को पुनः नामित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से 14 जून, 2021 को प्राप्त अनुमोदन के अनुसार दिनांक 24 जून 2021 से श्री दिनेश पंत को उनके प्रारंभिक कार्यकाल के समान नियम एवं शर्तों पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुन: नामित किया गया। एमडी एवं सीईओ के पद के रूप में उनका नाम फिर से अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के समक्ष रखा जा रहा है।

इस प्रकार, आपके निदेशक इस नोटिस के मद संख्या 5 में दिए गए साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन हेतु इस कार्यसूची की सिफारिश करते हैं। श्री दिनेश पंत और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, बैंक के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से कोई भी और उनके रिश्तेदार इस नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 6.

28 जुलाई, 2021 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार श्री उत्तम चंद नाहटा को 29 जुलाई, 2021 से बैंक के गैर-कार्यपालक-अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए नियुक्त करने को मंजूरी दी। निदेशक के रूप में उनकी प्रारंभिक अवधि शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन पांच (5) वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए होगी। उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त और उचित पाया जाता है। इसके अलावा वो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक नियुक्त होने से भी अयोग्य नहीं है और उन्होंने बैंक के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमित दी है। वो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्र मानदंडों को भी पूरा करते हैं।

श्री उत्तम चंद नहटा के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के संदर्भ में विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता, कौशल, अनुभव और विशेषज्ञता है, जो बैंक के लिए फायदेमंद होगी। श्री मनोज शर्मा की संक्षिप्त प्रोफाइल इस सूचना के अनुलग्नक के रूप में उपलब्ध कराई गई है। वह बैंक के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है।

इस प्रकार, आपके निदेशक इस नोटिस के मद संख्या 6 में दिए गए साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन हेतु इस कार्यसूची की सिफारिश करते हैं। श्री उत्तम चंद नाहटा और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, बैंक के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से कोई भी और उनके रिश्तेदार इस नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित साधारण संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या. 7.

भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2002 में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के कंसल्टिव ग्रुप ऑफ़ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट डॉ. गांगुली ग्रुप' जारी की थी, जिसमें यह भी बताया गया था कि बड़े आकार के बैंकों के संबंध में 'अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करना वांछनीय होगा। बैलेंस शीट के आकार, परिष्कृत व्यापार लेनदेन और बैंक की जटिलता को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यालय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: अध्यक्ष जो कि बोर्ड का अध्यक्ष हो और प्रबंध निदेशक जो मुख्य कार्यपालक के रूप में काम कर सकें और उनके पास बैंक के दैनिक प्रबंधन का दायित्व होगा. ग्रुप का मानना है कि इस कार्यदायित्व को विभाजित कर बैंक के शीर्ष प्रबंधन के कामकाज में आवश्यक जोर दिया जा सकेगा और साथ-साथ कार्य में नया दृष्टिकोण भी लाया जा सकेगा।

नैनीताल बैंक के छोटे आकार को देखते हुए वर्ष 2007 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पैरेंट बैंक) ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यालय को अलग करने के संबंध में छूट प्राप्त की थी। अब यह तय किया गया है कि उपरोक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद से अलग होने के संबंध में गांगुली समिति की सिफारिशें नैनीताल बैंक लिमिटेड पर भी लागू की जाए।

उपर्युक्त के बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिशों के संबंध में निदेशक मंडल ने दिनांक 2 जून, 2021 की बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के अधीन श्री एन. के. चारी के नाम को अंशकालिक/ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के पद हेतु अनुमोदित किया है.

भारतीय रिजर्व बैंक से 23 अगस्त, 2021 को प्राप्त अनुमोदन के अनुसार श्री एन.के. चारी ने अंशकालिक /गैर-कार्यकारी (स्वतंत्र) के अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया है। 23 अगस्त, 2021 को 8,40,000.00 रुपये प्रति वर्ष के समेकित पारिश्रमिक पर 3 वर्ष की अविध के लिए अंशकालिक/गैर-कार्यकारी (स्वतंत्र) अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के समक्ष रखा जा रहा है।

इस प्रकार, आपके निदेशक इस नोटिस के मद संख्या 7 में दिए गए साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन हेतु इस कार्यसूची की सिफारिश करते हैं। श्री एन.के. चारी और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, बैंक के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से कोई भी और उनके रिश्तेदार इस नोटिस के मद संख्या 7 में निर्धारित साधारण संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या. 8.

केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सभी शाखा कार्यालयों का लेखा परीक्षा करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि निदेशक मंडल को, उन शाखाओं के लिए जिनका केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की जाती है, बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, जैसा कि बोर्ड केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के परामर्श से उपयुक्त समझ सकता है।

केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सभी शाखा कार्यालयों का ऑडिट किया जाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए, यह प्रस्ताव किया गया कि केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के परामर्श से बैंक के उन शाखाओं हेतु लेखा परीक्षकों के रूप में योग्य व्यक्तियों को, जैसा कि बोर्ड उचित समझे नियुक्त करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाए, जो शाखएं केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित नहीं हैं.

कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक / एसएमपी और केएमपी के रिश्तेदार / रिश्तेदार संबंधित नोटिस के प्रस्तावों से संबद्ध या इच्छुक नहीं हैं।

टिप्पणियाँ

- ए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार एक व्याख्यात्मक वक्तव्य, जो कार्यसूची नंबर 2 से 8 तक वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के कार्य से संबंधित है, उसे इसके साथ संलग्न किया गया है।
- बी) कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति के मद्देनजर, सामाजिक दूरी मानक का पालन किया जाना अनिवार्य है. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 (एक साथ "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित वीडियो कॉन्फ्रेंस अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन के संबंध में स्पष्टीकरण के संबंध में परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक के आयोजन की अनुमित दी है और एजीएम के आयोजन के स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट दी है. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसलिए, सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। नैनीताल में बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय को 99 वीं एजीएम के स्थान के रूप में समझा जाएगा।

- सी) ऐसे सदस्य की ओर से जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं उनकी तरफ से सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के तहत एक प्रॉक्सी को नियुक्त करने की अनुमति है. हालाँकि, एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, इस एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एजीएम के लिए इस फ्रेमवर्क के तहत सदस्यों की भौतिक उपस्थिति में छूट दी गई है। इसलिए, इस नोटिस में प्रॉक्सी और प्रॉक्सी फॉर्म से संबंधित निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, वीसी या ओएवीएम के माध्यम से आयोजन किए जाने वाले एजीएम में दूरस्थ ई-मतदान या भाग लेने या मतदान के उद्देश्य से कॉर्पोरेट सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.
- डी) सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण पंजिका 21 सितम्बर, 2021 से 28 सितम्बर, 2021 तक (दोनों दिन सिम्मिलित) बंद रहेंगे।
- **ई)** एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में,केवल ऐसे संयुक्त धारक जिनका नाम नामों के क्रम में पहली बार प्रकट होता है मतदान के हकदार होंगे। कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि (यों) को एजीएम में उनकी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत करते हुए बोर्ड प्रस्ताव की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।
- एफ) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया।
- जी) उन अंशधारकों, जिन्होंने वर्ष 2013-2014 से 2018-2019 तक के अपने लाभाश अधिपत्रों को नहीं भुनाया है, से अनुरोध है कि वे इन्हें तुरंत पुनः वैधीकरण हेतु बैंक को भेज दें। आगे, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के अनुसार, इक्किटी शेयर्स जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें बैंक द्वारा (आई.ई.पी.एफ) प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
- एच) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते, ईमेल और अन्य विवरणों में बदलाव के लिए अपने फोलियो नंबर को उद्धृत करते हुए तत्काल बैंक या आरटीए को सूचित करें।
- आई) चूंकि एजीएम वीसी या ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगा, इसलिए इसके लिए सूचना में एजीएम के स्थान का रूट मैप और लैंडमार्क प्रदान करने की आवश्यकता इस एजीएम के लिए लागू नहीं होती है।
- जे) बैंक के वार्षिक खातों से सम्बन्धित प्रश्न/जानकारियाँ आदि सार्वजनिक विवरण जिसकी, सदस्यगण जानकारी चाहते हों अधोहस्ताक्षरी को कम से कम 3 दिन पूर्व (सभा दिन को छोड़कर) करें सूचित ताकि बैंक द्वारा जानकारी तैयार रखी जा सके।
- के) संलग्न नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज एवं व्याख्यात्मक विवरण, यदि कोविड-19 के कारण क्षेत्र में कोई प्रतिबंध न लगाय गया हो, बैंक के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक के दिन तक सभी कार्यदिवसों पर कामकाज के समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे,।
- एल) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 की नियम 18 के साथ पिठत, कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 101 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह नोटिस और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए, हम सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे अपना ईमेल पता डीपी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) या कार्वी (भौतिक शेयर होल्डिंग के मामले में) या बैंक के साथ आपके डीमैट खाते/फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए पंजीकृत करें।
- एम) शेयर धारक भौतिक रूप में धारण किये गए शेयरों के हस्तांतरण के बारे में या उनकी शिकायतों को, यदि कोई हो, अवगत कराने के लिए निम्न लिखित पते पर लिख सकते हैं:

सीआईएन: U65923UR1922PLC000234 कॉर्पोरेट कार्यालय कंपनी सचिव नैनीताल बैंक लिमिटेड सेवन ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल -263001 मेसर्स कार्वी फिनटेक (पी) लिमिटेड कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032. वेबसाइट: www.nainitalbank.co.in

फोन नं. No. : 05942-233739

ईमेल: cs@nainitalbank.co.in

फोन नं.: 1800-345-4001 /+91-40-6716

2222

फैक्स नं.: +91-40 – 2300 1153

ईमेल: hanumantha.patri@kfintech.com

संपर्क करें: श्री हनुमंथा

श्री विनोद सिंह नेगी

एन) दूरस्थ ई-वोटिंगः

(i) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के अनुपालन में, संशोधन के अनुसार, बैंक को कार्वी के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता हो रही है, तािक सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके वोट डालने की सुविधा मिल सके। दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

- (ii) बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए सुश्री बिनीता पाण्डेय, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या A41594, COP-19730), या उसके अनुपलब्ध होने की सूरत में श्री हिमांशु गुप्ता, प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता (सदस्यता संख्या डी/3139/2014) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- (iii) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार उनके द्वारा धारण किये गए शेयर्स से, बैंक द्वारा अंतिम तारीख अर्थात 21 सितंबर, 2021 को जारी किए गए और भुगतान किए गए इक्किटी शेयर पूंजी के अनुपात में, तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र संख्या 97/16.13.100/2015-16 दिनांक 12 मई 2016 के अधीन होंगे।
- (iv) वह व्यक्ति जो उक्त अंतिम तारीख को सदस्य नहीं है, वह मतदान का हकदार नहीं होगा और उसे इस नोटिस को केवल सूचना उद्देश्य के लिए समझना चाहिए।
- (v) दूरस्थ ई-मतदान के निर्देश निम्नानुसार हैं:
 - ई-मेल द्वारा नोटिस प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में:
 - ✓ ई-मेल में बताए गए लॉग इन क्रेडेंशियल (यानी यूजर आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें, आपका फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। कृपया ध्यान दें कि पासवर्ड एक प्रारंभिक पासवर्ड है।
 - ✓ दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित (यूआरएल) का उपयोग करें: कार्वी की वेबसाइट: https://evoting.kfintech.com से।
 - ✓ बैंक के शेयरधारक जो या तो भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में, कट-ऑफ तिथि पर शेयरों को धारण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
 - ✓ लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी।
 - 🗸 विवरण उचित रूप से दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
 - ✓ मतदान पृष्ठ पर, पक्ष/विपक्ष (फॉर/अगेंस्ट) के तहत उक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों की संख्या दर्ज करें या वैकल्पिक रूप से आप आंशिक रूप से कोई भी संख्या फॉर के लिए और आंशिक रूप से अगेंस्ट में कोई भी संख्या दर्ज कर सकते हैं लेकिन पक्ष/विपक्ष (फॉर/अगेंस्ट) में कुल संख्या उक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार, आपके कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप ऑब्स्टेन (Abstain) विकल्प भी चुन सकते हैं।
 - √ कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन
 करेंगे।
 - ✓ एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपने वोट करें और सबिमट पर क्लिक करें। एक पृष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। संशोधित करने के लिए कैंसल और पृष्टि करने के लिए ओके क्लिक करें। एक बार पृष्टि करने के बाद, आपको अपना

वोट संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। मतदान की अवधि के दौरान, शेयरधारक मनचाही बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मतदान नहीं किया हो।

- ✓ शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ✓ दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि 25 सितंबर, 2021 (सुबह 09:00 बजे) पर शुरू होगी और 27 सितंबर, 2021 (सायं 5:00 बजे) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरहोल्डर्स, जो की कट-ऑफ तारीख 21 सितंबर, 2021 पर या तो भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में, शेयर धारण करते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को कार्वी द्वारा मतदान के बाद अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाला है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे बैठक में फिर से मतदान करने में सक्षम नहीं होंगे।
- ✓ ई-वोटिंग के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड या श्री हनुमंथा या श्री विनोद सिंह नेगी से संपर्क करें।

डाक/कूरियर द्वारा नोटिस प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में:

✓ प्रारंभिक पासवर्ड, निम्नानुसार, बैठक की उपस्थिति पर्ची में प्रदान किया गया है।

कार्यक्रम		
(ई-वोटिंग इवेंट नंबर)	यूजर आईडी	पासवर्ड/पिन

- ✓ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट डालने के लिए कृपया ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें।
- vi. भारत के कंपनी सचिवों की संस्था द्वारा आम सभाओं पर जारी सचिवीय मानक -2 के अनुसार परिणाम शेयरधारकों को सूचित किए जाएंगे और बैंक की वेबसाइट यानी www.nainitalbank.co.in पर अपलोड किए जाएंगे। परिणाम बैंक के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयों में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

सदस्य कृपया यह नोट करें कि ए जी एम में भाग लेने हेतु कोई भी उपहार/कूपन नहीं दिया/भेजा जायेगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार से

(दिनेश पंत) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थानः नैनीताल

दिनांक: 04 सितंबर, 2021

आम बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के संदर्भ में वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति वाले निदेशकों का विवरण

नाम	श्री संजय मुदालीयार	श्री मनोज शर्मा	श्री दिनेश पंत	श्री उत्तम चंद नाहटा	श्री एन.के.चारी
डीआईएन संख्या	07484086	09085665	08391769		
नियुक्ति की तारीख	17.12.2019	09.04.2021	26.03.19 - निदेशक 01.04.19 – अध्यक्ष एवं सीईओ 24.06.21 –एमडी एवं सीईओ	29.07.2021	08.06.2021 – निदेशक 23.08.2021 - अंशकालिक/ गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) अध्यक्ष
शैक्षणिक योग्यता	वे भोपाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे विशेषज्ञता प्राप्त की। उनके पास यूनाइटेड किंगडम के वाणिज्य मंत्रालय से प्रोजेक्टं प्रबंधन "प्रिंस2" में औपचारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन भी है।	आप अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) और एमए अर्थशास्त्र हैं. और भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट (डीटीआरएम) में डिप्लोमाधारक हैं।	आपके पास एमएससी में डिग्री है, आप बैंकिंग और फाइनेंस में एमबीए हैं और आपके पास डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, सीएआईआईबी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर सर्टिफिकेशन एग्जाम (एफआरएम-1) की डिग्रियां हैं।	आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आपके पास 44 साल से अधिक के पोस्ट-क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और कंपनी सेक्रेटरी हैं, जिनके पास 36 साल से ज्यादा पोस्ट- क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है।	उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मास्टर्स इन कॉमर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स (एक्सटेंशन), यूएसए से अवार्ड इन जनरल बिजनेस (फाइनेंस) की डिग्री हैं।
संक्षिप्त परिचय एवं विशेषज्ञता	आपको सॉफ्टवेयर उद्योग, विनिर्माण इकाई, मानव प्रवास में वैज्ञानिक अनुसंधान पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन में विविध कार्य अनुभव प्राप्त हैं। इन जिम्मेनदारियों में आपने डेटा विश्लेंषण, तकनीक विकास और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के क्षेत्रों में काम किया। इसके बाद, आप बैंकिंग क्षेत्र में शामिल हो गए और स्टेट बैंक ऑफ़ बावणकोर और बैंक ऑफ़ बावणकोर और वैंक ऑफ़ बड़ौदा में आपको प्रौद्योगिकी के साथ-साथ बैंकिंग परिचालन में काम करने का मौका मिला। आपको बैंक ऑफ़ बड़ौदा में डिजिटल बैंकिंग और ई-बैंकिंग वर्टिकल शुरू करने का सौभाग्य मिला। आपने लंदन में प्रौद्योगिकी प्रमुख के रूप में चार साल का कार्यकाल भी किया था। आप मुंबई में क्षेत्रीय प्रबंधक और बेंगलुरु में उप अंचल प्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके है। वर्तमान में वह बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) हैं।	आप भारतीय रिज़र्व बैंक से मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपके पास ऑन-साइट और नीति निर्माण पर व्यपक नियामक और पर्यवेक्षी अनुभव है। आपने नए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण पर व्यापक कार्य किया है और आपके पास इस संबंध में नीति और परिचालन का भी अनुभव है। आपने धोखाधड़ी का पता लगाने, शमन और रिपोर्टिंग पर नीति को फिर से परिभाषित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। आपने धोखाधड़ी की त्वरित प्रतिक्रिया टीम का नेतृत्व किया है। आपके पास आरबीएस मॉडल के वैचारिक और परिचालन पहलुओं पर आंतरिक और बाहरी ज्ञान साझा करने का अनुभव हासिल है। आपके पास भारत में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता है। आपने छोटे विदेशी बैंकों के मूल्यांकन के संबंध में अवधारणा, डिजाइन से मॉडल के स्थिरीकरण के लिए छोटे बैंक वैरियेंट के आरबीओ मॉडल को लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की टीम का नेतृत्व किया। आपके पास नीति निर्माण, गुणवत्ता एश्योरेंस कार्यों और एसपीएआरसी प्रक्रिया के संबंधित पहलुओं में विशेषज्ञता है. आपने भारत में बैंकों के लिए धोखाधड़ी का पता लगाने, निगरानी और	आपके पास बैंकिंग में लगभग -27 वर्षों का व्यापक और विविध अनुभव है। आपने बैंक ऑफ़ बड़ौदा में मुंबई मेट्टो पूर्व क्षेत्र, संबलपुर क्षेत्र, देहरादून क्षेत्र में अत्रीय प्रमुख, देहरादून क्षेत्र में अत्रीय प्रमुख सहित विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाओं और बहरीन और मनामा में सभी महत्वपूर्ण विदेशी और घरेलू कार्यों के साथ विभिन्न अमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी परिचालन के इंडिट और परिचालन में प्रवीणता हासिल की है और आपके पास परिचालन और प्रशासनिक दोनों क्षमताएं हैं। श्री दिनेश पंत ने एक विशेष कार्यक्रम 'वी लीड' में भी भाग लिया, जहां उन्होंने अपने एसएमई ढांचे का अध्ययन करने के लिए फ्रैंकफर्ट, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा किया।	आप भारत सरकार, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सेवानिवृत्तस क्लास वन अधिकारी हैं। आने 32 वर्षों से अधिक समय तक और इसके अतिरिक्त 5 वर्षों तक भारत की मेंबर-कंपीटिशन के रूप में कार्य किया। आपने महाराष्ट्र राज्य के लिए अतिरिक्त कंपनी रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर पर और निदेशक और लगभग 4 वर्षों के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पैमाने पर और मेंबर-कंपीटिशन के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आपके पास भारत सरकार के सचिव के स्तर पर 5 साल के लिए कमीशन आंफ़ इंडिया में कार्य का अनुभव है। आपको अकाउंटेंसी, वित्त	आपके पास भारतीय स्टेट वैंक में अपनी सेवा के दौरान विभिन्न क्षमताओं में शाखाओं, ऋण, शाखा वैंकिंग, प्रदर्शन बजिंटंग, निगरानी और शाखाओं पर नियंत्रण में कार्य करने का लगभग 39 वर्षों का विभिन्न अनुभव है। आपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पिरदृश्यों में रिटेल और कॉर्पोरेट क्रेडिट को संभाला और एसबीआई में एचआर मैनेजमेंट का भी हिस्सा रहे। एसबीआई में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने नेपाल एसबीआई लिमिटेड, काठमांडू के एमडी के पद पर कार्य किया और एसबीआई काड्स एंड पेमेंट मर्विसेज (क्रेडिट कार्ड कंपनी) और एसबीआई कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज (सिक्योरिटीज मार्केट में डीलिंग) की दो सहायक कंपनियों में निदेशक भी रहे। आपने प्रतिनियुक्ति पर एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ मैस्र (एसबीएम) के प्रबंध निदेशक का पद भी संभाला और एसबीआई में वापस आने के बाद आप एसबीआई में वापस आने के बाद आप एसबीआई में उप प्रवंध निदेशक (डीएमडी) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

		रिपोर्टिंग पर रूपरेखा तैयार करने के लिए आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व किया है।		विधि आदि विषयों की अपेक्षित जानकारी है।	
		आपको विदेशी बैंकों, सार्वजनिक बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों आदि के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का			
अन्य कंपनियों में निदेशक पदधारिता	शून्य	अनुभव है। शू न्य	श्र्न्य	श्र्न्य	श्र्न्य
निदेशकों के आपस में रिश्तों का प्रकटीकरण	बैंक के किसी भी स्वतंत्र निदेशक से संबंधित नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंध रखते हैं।		बैंक के किसी भी स्वतंत्र निदेशक से संबंधित नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंध रखते हैं।	बैंक के किसी निदेशक से संबंधित नहीं।	बैंक के किसी निदेशक से संबंधित नहीं।
31.03.2021 को बैंक में धारित शेयरों की संख्या	150	श्र्त्य	श्र्त्य	श्र्त्य	श्र्त्य